The salient features of the scheme are as under:

1. banks and financial institutions are required to submit to RBI by 15th April and October every year, the details of the borrowal accounts which have been classified as doubtful, loss and suit filed with outstandings aggregating Rs. 1 crore and above;

2. RBI will circulate to the banks and financial institutions the above information on the defaulters;

3. based on the information received from banks and financial institutions, RBI will publish every year the list of suit filed accounts. It will also update the list half-yearly.

जब्त की गयी वस्तुओं का सीमा शुल्क विभाग के गोदामों में पड़ा होना

2711. **श्री आस मोहम्मद;**
चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त की गई बहुमूल्य वस्तुओं की बहुत बड़ी मात्रा विभिन्न सीमा शुल्क डिपुओं और गोदामों में पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किये गये ऐसे सामान का ब्यौरा क्या है जो कि मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में सीमा शुल्क विभाग के गोदामों में पड़ा है; और

(ग) जब्त किये गये सामान के अनुरक्षण के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग) जब्तशुदा कीमती माल को सशस्त्र सुरक्षा के अंतर्गत लाकरों/मूल्यवान वस्तुओं को रखने के विभागीय गोदामों/सरकारी खजाने में तब तक रखा जाता है जब तक इसका अन्तिम रूप से निपटान नहीं हो जाता है।

30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार, सीमाशुल्क द्वारा जब्त किए गए और बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में सीमाशुल्क गोदामों में पड़े कीमती माल का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

सीमाशुल्क गृह	सोना	चांदी	हीरे/बहुमूल्य रत्न
बम्बई	25.33	3.44	14.95
कलकत्ता	4.81	0.14	0.28
दिल्ली	0.38	0.53	0.73
मद्रास	4.91	1.34	2.64

आंकड़े अनन्तिम हैं।

सोने और चांदी की तस्करी

2712. **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान गुजरात में कितनी मात्रा में तस्करी किया हुआ सोना और चांदी जब्त की गयी और उसका कुल मूल्य कितना है।

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी; और

(ग) सरकार ने सोने और चांदी की तस्करी रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) वर्ष 1993-94 के दौरान गुजरात में पकड़े गये सोने और चांदी की मात्रा और उसके मूल्य का ब्यौरा इस प्रकार है:—

सोना		चांदी	
मात्रा किलोग्राम में	मूल्य लाख रुपयों में	मात्रा किलोग्राम में	मूल्य लाख रुपयों में
7.099	30.53	507.800	29.43

(ख) इस संबंध में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ अभियोजन चलाया गया है।

(ग) तस्करी-रोधी एजेंसियां सोने और चांदी सहित सभी तरह की तस्करी की गतिविधियों के प्रति सतर्क हैं। धातु-खोजियों और एक्सरे मशीनों जैसे अत्याधुनिक उपस्करों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है।

तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम में लगी सभी एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाये रखा जा रहा है।

Outstanding duty drawback claims of Delhi exporters

2713. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that customs procedure has held up duty drawback claims of atleast one thousand exporters of Delhi;

(b) if so, the total amount held up; and

(c) whether Government propose to take further steps to simplify the procedure and if so, details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) No duty drawback claims have been unduly held-up in processing due to customs procedure. Duty drawback claims are settled by issue of cheques on Punjab National Bank in the names of the exporters. However, due to non-supply of cheque books, during the month of June, 1994, some pendency of duty drawback payments had arisen during that month which has since been cleared.

(b) Non applicable at present in view of (a) above.

(c) To further expedite the disbursal of duty drawback, the procedures are constantly reviewed so as to steamline the settlement of drawback claims.

फोर्ड फाउन्डेशन की गतिविधियां

2714. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फोर्ड फाउन्डेशन और रोकफेलर फाउन्डेशन की भारत में क्या-क्या गतिविधियां हैं;

(ख) इनकी गतिविधियों पर किस प्रकार निगरानी रखी जाती है;

(ग) क्या सरकार को इनकी गतिविधियों के बारे में कोई आपत्तिजनक बात मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) फोर्ड फाउन्डेशन और रोकफेलर फाउन्डेशन शैक्षिक, वैज्ञानिक, साक्षरता और धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए लाभ अर्जित न करने वाले स्वैच्छिक संगठनों, विश्वविद्यालयों अनुसंधान संस्थाओं और कुछ सरकारी अभिकरणों को वित्तय अनुदान सहायता प्रदान करते हैं। ये संगठन लोगों की विदेश में उनके प्रशिक्षण/अध्ययन पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए भी सहायता प्रदान करते हैं।

(ख) वित्तीय अनुदानग्राही को सहायता प्रदान करने से पूर्व फोर्ड फाउंडेशन और रोकफेलर फाउन्डेशन को प्रत्येक अनुदान से संबंधित प्रस्ताव पर भारत सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। वित्त मंत्रालय द्वारा अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके इन प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाती है और केवल उपयुक्त मामलों में ही सहमति दी जाती है। इन संगठनों द्वारा प्रदत्त अनुदान विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत भी विनियमित होता है।

(ग) से (ङ) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए सवाल पैदा नहीं होते।

Financing by IFCI

2715. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether IFCI is financing partially or fully various industrial units in Andhra Pradesh;

(b) if so, the sanctions accorded for financing industries in Andhra Pradesh in 1993-94 and in the current year upto 30th June, 1994;

(c) the names of such units and amounts, respectively;

(d) whether various auditing agencies have pointed out that late and delayed disbursals are the primary cause of non-profitability of IFCI; and

(e) if so, the details of such reports?